



कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 09

OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS

No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009

दूरभाष/TELE: 040-27843385

फैक्स/FAX:040-27817275

Email : cda-secd@nic.in

ii) secd-acsn-a@nic.in

1/2

सं./No.A/II/13039/Vol III

दिनांक/Dt: 12.10.2021

सेवा में/To

सेवा में/To

प्रभारी व.ले.अ./The SAO
भंडार अनुभाग/Stores Sn.
विविध अनुभाग / "M" Sn.
परिवहन अनुभाग / "T" Sn.
(स्थानीय/Local)

प्रभारी अधिकारी / The Officer I/C,
वे.ले.का. (अ.श्रे) ई.एम.ई., / PAO(ORs)EME,
सिकंदराबाद / Secunderabad.

प्रभारी अधिकारी / The Officer I/C,
वे.ले.का. (अ.श्रे) से.आ.कोर / PAO(ORs)AOC,
सिकंदराबाद / Secunderabad.

ACDA i/c
Area Accty Office
(Army)
Vilakshapatnam

विषय/Sub: वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में परिवर्तन और इसके ठीक उल्टा के विनिमय दर / Exchange rates of conversion of foreign currency into Indian Currency or vice-versa, notified by the Ministry of Finance, Department of Revenue.

Ref: HQrs letters No A/III/7896/ER/OR/2018/E-567 dt 02.09.2021, 21.9.2021 and GOI, MOE Office Memorandum No Q/FE/747/2/2021 dt 22.07.2021 and 24.8.2021.

प्रभावी तारीख 1.08.2021, 1.9.2021 से विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में परिवर्तन और इसके ठीक उल्टा के विनिमय दर को अधिसूचित करते हुए भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, विदेश विनिमय अनुभाग, नई दिल्ली से प्राप्त पत्रों की प्रतियाँ आपके अभिलेख एवं अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।

Copy of the above referred letter received from Government of India, Min. of External Affairs, Foreign Exchange Section, New Delhi notifying the Exchange rates of conversion of foreign currency into Indian Currency or vice-versa effective from 1.8.2021 and 1.9.2021 is forwarded herewith for your record and further necessary action.

विनिमय के उपरोक्त दर कांसुलर शुल्क के लिए लागू नहीं होंगे और ये शुल्क पी.वी. प्रभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन ही शासित रहेंगे। जहाँ तक भारतीय आधार के अधिकारियों के परिलब्धियों के भुगतान का प्रश्न है, विदेश मंत्रालय के एफ.डी. अनुभाग द्वारा जारी विदेशी भत्ता मंजूरी में अंकित विनिमय दर को ध्यान में रखा जाए।

::2::

These rates of exchange will not apply in respect of Consular Fees, which will continue to be governed by instructions issued by PV Division. As far as payment of emoluments of India based officials is concerned, the rate of exchange indicated in the foreign allowances sanction issued by the F.D Section of Ministry of External Affairs has to be taken into account.

के. राम नारायण चारी/ K.Ram Narayana Chary
वरिष्ठ लेखा अधि (लेखा)/Sr Accounts Officer (A/Cs)

संलग्न : उपरोक्तानुसार
Encl: As above

प्रतिलिपि / Copy to
ई.डी.पी. अनुभाग / EDP Sn
(स्थानीय/Local)

र.ले.नि., सिकंदराबाद की वेबसाइट में अपलोड करने के अनुरोध के साथ उपरोक्त पत्रों की प्रतियाँ आपको भेजी जा रही हैं। ई.डी.पी. हेल्पलाइन में ई.डी.पी. अनुभाग के लिए भी इसे अपलोड किया गया है / The copies of the above letters are forwarded herewith with request to place them in the CDA Sec'bad web site. This is also uploaded to EDP Sn through EDP help line.

के. राम नारायण चारी/ K.Ram Narayana Chary
वरिष्ठ लेखा अधि (लेखा)/ Sr Accounts Officer (A/Cs)

संलग्न : उपरोक्तानुसार
Encl: As above